

प्रेषक, एसओएसओ टोलिया
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में, प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 26 दिसम्बर, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-17 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड बीरौखाल में ग्राम स्थूँसी होते हुए ग्राम आमकुलाज तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता क्षेत्रक, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा विषयगत कार्य की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लम्बाई 7.00 किमी0 तथा लागत ₹ 23.59 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 23.59 लाख (₹ तेईस लाख उन्नाइ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018-17 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदुपरांत शासनादेश सं0-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शीड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से स्वी गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्वीरमेंट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0वी0वी0, गुनि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04

व्यय स्वीकृत

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
पौड़ी गढ़वाल

जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00
24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया
जायेगा।

1) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी
नियन्ता का होगा।

2) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया
जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो
सका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

3) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत है
या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः
रस्त समझी जायेगी।

4) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान
0-22-लेखापीरियड-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-
योजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे आला
जायेगा।

5) यह आदेश पित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-948/XXVII/(2)/2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016
प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

लम्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-3206/111(2)/16-54(प्र0आ0)/2016 तददिनांकित।

तिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स विल्डिंग, माजरा देहरादून।

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र0का0, लोनिवि0, उत्तराखण्ड।

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

गार्ड फ़ाइल।

रजिस्ट्रार जनरल

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोनिवि0
3rd बैजरा (गढ़वाल)

आज्ञा से,

(एस0एस0 पांगती)
उप सचिव